प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। उपस्थित प्रार्थी के अधिवक्ता को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को सूचित किये बिना पूर्व से नियत तारीख पेशी से अन्य तारीख मे पत्रावली रख कर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। रेस्पोडेन्ट अपीलाधीन आदेश की आड मे विवादित भूमि को खुर्द–बुर्द कर देगें। अतः रेस्पोडन्ट को पाबन्द करावें कि वे विवादित भूमि को किसी भी तरह से बेचान/ हस्तान्तरण नही करेगें।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया तथा स्थगन प्रार्थना पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों के आधार पर विवादित भूमि के बेचान/हस्तान्तरण पर स्थगन दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः जरिय स्थगन रेस्पोडेन्ट को पाबन्द किया जाता है कि वे नामान्तरकरण संख्या 263 दिनांक 13.6.76 मे दर्ज भूमि को किसी भी प्रकार से बेचान/हस्तान्तरण आगामी आदेश तक नही करेगें। स्थगन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर, निर्णित होकर मूल पत्रावली के संलग्न हो।